

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2025 राजस्व अपील

1. सुमेर
2. लज्जा
3. विजेन्द्र

पिसरान नवल समस्त जाति गुर्जर निवासी हाल सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा।  
अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

( अपील विरुद्ध उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 19.09.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुमेर आदि मु. नं. 50/2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम )

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का सलेमपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट्स ने संवत् 2082 में खसरा नम्बर 322 रकबा 0.59 है० भूमि किस्म चरागाह ग्राम सलेमपुर पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया व नोटिस जारी किये गये तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित हुआ व जवाब के लिए मौका चाहा जिस पर उप तहसीलदार ने दुबारा बुलाने के लिए कहा परन्तु अधीनस्थ उप तहसीलदार ने यह लिखते हुये कि अतिक्रमी उपस्थित हुआ व अतिक्रमण स्वीकार किया लिखते हुये प्रार्थी अपीलांट के पीछे से निर्णय पारित कर दिया व अपीलांट्स को 30 दिवस का कारावास व पैनल्टी से दंडित करने के अवैध आदेश दिनांक 19.09.2025 पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया कि कौनसा अपीलांट्स उपस्थित हुआ और कौनसे अपीलांट्स ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को न तो जवाब का मौका दिया और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत व निर्णय न होने के बावजूद भी अपीलांट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की



अति. जिला कलक्टर  
दौसा


है। पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांट्स के समक्ष नहीं हुये और न ही अपीलांट्स को जिरह का कोई अवसर दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। प्रदर्शित हुये बिना उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहयोग्य नहीं थी। जिसके आधार पर किया गया निर्णय कतही अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा पूर्व में संवत् 2081 में अतिक्रमण किया था जिसमें बेदखली का आदेश दिया गया है। परन्तु निर्णय की कोई तारीख अंकित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2025 निरस्त फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमावे कि अपीलांट्स को को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः निर्णय पारित करे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत् 2082 में प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 322 रकबा 0.59 हैक्टेयर में से 0.58 हैक्टेयर किस्म चरागाह पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट्स को नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट विजेन्द्रसिंह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा शेष अपीलांट्स बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में भी संवत् 2081 एवं गत वर्षों में भी अतिक्रमण किया गया था जिसकी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमी को पूर्व में बेदखल किया गया था। लेकिन अपीलान्ट्स द्वारा संवत् 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 19.09.2025 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2025 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शूमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।




  
23/3/26

( अरविन्द शर्मा )

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
23/3/28

( अरविन्द शर्मा )

अति० जिला कलक्टर, दौसा